

प्रेषक,

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर/पूर्णियाँ/जहानाबाद/समस्तीपुर ।

पटना, दिनांक:- 21-2-18

विषय:-

मुख्य शीर्ष-2230 श्रम एवं रोजगार उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-112-बंधुआ मजदूर का पुनर्वास-मॉग सं०-26-उप शीर्ष-0201-बंधुआ मजदूर का पुनर्वास तथा समाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम (विपत्र कोड-26-2230011120201) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

- उपर्युक्त विषयक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-S-11012/05/2001-BL (Vol. III) दिनांक-31.08.17 द्वारा बंधुआ मजदूर पुनर्वास कार्यक्रम के अन्तर्गत (Old Scheme यानि 17.05.2016 से पूर्व के विमुक्त बंधुआ मजदूरों हेतु) कुल ₹ 37.70 लाख (₹ सैतीस लाख सत्तर हजार) मात्र केन्द्रांश की राशि उपलब्ध करायी गयी है। इस राशि में शेष बचे राशि से 51 बंधुआ मजदूरों हेतु कुल ₹ 5,10,000/- (₹ पाँच लाख दस हजार) मात्र को विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3175 दिनांक-07.06.17 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष-2017-18 में 31 मार्च, 2018 तक व्यय के निमित्त 37-अनुग्रह अनुदान के तहत विषय शीर्ष 0201.37.01 अनुग्रह अनुदान से प्रति बंधुआ मजदूर ₹ 10,000/- (रूपये दस हजार) मात्र की दर से संलग्न विवरणी के अनुसार निधि का आवंटन किया जाता है।
3. यह आवंटन कुल ₹ 5,10,000/- (₹ पाँच लाख दस हजार) मात्र वित्त विभाग के पत्रांक-428/वि० दिनांक-31.03.17, पत्रांक-3002/वि० दिनांक-26.04.2017 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि०(2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है।
4. यह आवंटित केन्द्रांश की राशि विपत्र कोड-पी०-2230011120101 एवं पी०-2230017890102 से क्रमशः सामान्य एवं अनुसूचित जाति के बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु पूर्व में प्रेषित राज्यांश की राशि के विरुद्ध आवंटित की गयी है।
5. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
6. आवंटित केन्द्रांश की राशि को नियमानुसार जाँच कर उन्ही विमुक्त वैध बंधुआ मजदूरों को ही उपलब्ध कराया जाय जिन्हें संबंधित वर्ष में राज्यांश की राशि प्रदान की जा चुकी है।
7. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली से संबंधित वाद संख्या तथा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, 2015 के अंतर्गत परिवादियों को प्राथमिकता के आधार पर केन्द्रांश की राशि का भुगतान किया जाय ।
8. यह आवंटित राशि दिनांक-17.05.2016 से लागू Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labour 2016 के पूर्व विमुक्त बंधुआ मजदूरों के लिए है।
9. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में आवश्यक टी०भी० नं० तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अबिलम्ब निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें ।
10. यह आवंटन केन्द्र प्रायोजित योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,

21/2/18
(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/एफ1-309/17 श्र0सं0-

पटना, दिनांक

154

21-2-18

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

21/2/18

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/एफ1-309/17 श्र0सं0

पटना, दिनांक

154

21-2-18

*स्पीड
पोस्ट

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/*संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी /संबंधित उप श्रमायुक्त /संबंधित श्रम अधीक्षक/ संयुक्त श्रमायुक्त-01 एवं प्रशाखा-01 (श्रम पक्ष) को उनके गै.सं.प्रे.सं.0-69,77 एवं 79 (श्रम पक्ष)

क्रमशः दि.-12.02.18, 16.02.18 एवं 20.02.18 के आलोक में/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष /प्रशाखा-6, बजट शाखा, (श्रम पक्ष) एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6, (श्रम पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. संबंधित उप श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम अधीक्षक को निदेश दिया जाता है कि वे संबंधित जिला पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर इसका व्यय 15 मार्च 2018 तक सुनिश्चित करवा कर उसका उपयोगिता/प्रत्यार्पण प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में ससमय प्रेषित करवायेगें ।

3. व्यय प्रतिवेदन/उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01)द्वारा किया जायेगा।

21/2/18

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक6/एफ1-309/17 श्र0सं0-

पटना, दिनांक

154

21-2-18

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21/2/18

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3175 दिनांक-07.06.2017 के आलोक में मुख्य शीर्ष-2230 श्रम एवं रोजगार उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-112-बंधुआ मजदूर का पुनर्वास-माँग सं०-26-उप शीर्ष-0201-बंधुआ मजदूर का पुनर्वास तथा समाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम (विपत्र कोड-26-2230011120201) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में 31 मार्च, 2018 तक व्यय के निमित्त सामान्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु पूर्व में प्रेषित राज्यांश की राशि के विरुद्ध 10000/- प्रति बंधुआ मजदूर की दर से आवंटित केन्द्रांश की राशि का समेकित आवंटन की विवरणी:-

क्र. सं.	जिला का नाम	वित्तीय वर्ष 2005-06		वित्तीय वर्ष 2015-16		वित्तीय वर्ष 2016-17		(कॉलम 3+4+5) के तहत कुल बंधुआ मजदूरों की संख्या	विषयशीर्ष 0201.37.01 अनुग्रह अनुदान से पूर्व में सामान्य, अनु. जाति एवं जनजाति के बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु प्रेषित राज्यांश की राशि के विरुद्ध 10000/- प्रति बंधुआ मजदूर की दर से आवंटित केन्द्रांश की राशि	अभ्युक्ति
		Gen	Sc	Gen	Sc	Gen	Sc			
1	मुंगेर	-	-	3	1	-	-	4	40000	श्रम अधीक्षक, मुंगेर के पत्रांक-117 दिनांक-12.2.18 के आलोक में ।
2	पूर्णियाँ	2	-	17	13	-	-	32	320000	श्रम अधीक्षक, पूर्णियाँ के पत्रांक-78, 79 एवं 80 तीनों दिनांक-24.1.18 के आलोक में ।
3	जहानाबाद	-	-	-	-	1	9	10	100000	श्रम अधीक्षक, जहानाबाद के पत्रांक-104 दिनांक-13.2.18 के आलोक में
4	समस्तीपुर	-	-	1	4	-	-	5	50000	श्रम अधीक्षक, समस्तीपुर के पत्रांक-66 दिनांक-24.1.18 के आलोक में
	कुल योग	2	0	21	18	1	9	51	510000	

कुल आवंटित राशि ₹ 5,10,000/- (₹ पाँच लाख दस हजार) मात्र ।

21/02/18

(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।